उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक D/2418 / जबलपुर, दिनांक 30/06/2016

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/1773 जबलपुर, दिनांक 21.04.2016, "जहाँ तक उसका संबंध अनुक्रमांक 06 श्री शुभांशु भांगरे आत्मज श्री ओमकार प्रसाद भांगरे, अनुक्रमांक 09 श्री पवन कुमार मिश्रा आत्मज श्री रामानुज मिश्रा एवं अनुक्रमांक 20 श्री राजेश पटेल आत्मज श्री दामोदर प्रसाद पटेल को सहायक ग्रेड-तीन के पद पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर/खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर नियुक्ति प्रदान किये जाने से है", निरस्त किया जाता है ।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-

(मनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/2419 / जबलपुर, दिनांक 30/06/2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ, इंदौर, इंदौर(म.प्र.),
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),
3. रजिस्ट्रार (प्रशा.)/न्यायिक 1, 2 एवं 3/डी.ई./व्ही.एल./परीक्षा एवं लेबर जूडी./विजिलेंस/कम-पी.पी.एस./ई, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर पदों को प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, खंडपीठ ग्वालियर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1412103001 एवं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, खंडपीठ इन्दौर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1702103001 के एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर/इंदौर,
6. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटो.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. डिप्टी रजिस्ट्रार ....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता, महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/लेखा/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/बजट/पेंशन/डी.पी.एफ, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्री शुभांशु भांगरे आत्मज श्री ओमकार प्रसाद भांगरे, श्री राम वार्ड, कबीर चौक, पुत्री शाला के पास, मंडला(म.प्र.)-481661,
18. श्री पवन कुमार मिश्रा आत्मज श्री रामानुज मिश्रा, सी-19, सी ब्लॉक, आर.के. पुरी, थाटीपुर, ग्वालियर(म.प्र.)-474011,
19. श्री राजेश पटेल आत्मज श्री दामोदर प्रसाद पटेल, म. नं. 181/1, कमला नेहरू नगर, चेतराम मढ़िया के पीछे, जबलपुर(म.प्र.)-482002,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

30.06.16

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/2420/ जबलपुर, दिनांक 30/06/2016

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड–तीन के पद पर वेतन बैंड–1 में वेतनमान रूपये 5200– 20200 + ग्रेड पे रू. 1900 में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान
1	श्री राहुल मिश्रा, आत्मज श्री राम मनोहर मिश्रा	खण्डपीठ ग्वालियर
2	श्री जगदीश कलावत आत्मज श्री रोड़ीलाल कलावत	खंडपीठ इंदौर
3	श्री संतोष यादव, आत्मज श्री जगदीश यादव	खण्डपीठ ग्वालियर

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. **यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।**
3. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविघालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियॉ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
4. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।
5. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13–04–2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।

6. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण–पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

7. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

9. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

10. यह कि, किसी अन्य विभागं में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11. यह कि, आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण–पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरांत प्रमाण–पत्र फर्जी या कूटरचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी ।

13. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तो में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

15. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण– पत्र, शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/–
(मनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक–D12421–/ जबलपुर, दिनांक - /06/2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर/खंडपीठ ग्वालियर (म.प्र.), की ओर इस आशय के साथ संप्रेषित कि वे उनकी खंडपीठ में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उपरिवर्णित शर्तों का पालन अभ्यर्थी द्वारा कर लिया गया है। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात पुलिस प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित अनुप्रमाणन फार्म अभ्यर्थी से प्राप्त कर, संबंधित जिले से अभ्यर्थी का गोपनीय तौर पर चरित्र एवं पूर्व वृत का सत्यापन एवं जॉच कराने हेतु संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर सत्यापन पश्चात सूचना इस रजिस्ट्री को भिजवाने हेतु तथा 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना तत्काल इस रजिस्ट्री को भिजवाने हेतु,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./व्ही.एल./(निरी. एवं सतर्कता) /एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर पदों को डी.डी.ओ.–रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, की ओर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, खण्डपीठ इन्दौर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1702103001 एवं खण्डपीठ ग्वालियर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1412103001 एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्दौर/ग्वालियर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार ...., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, सतर्कता/आई. एल. आर एवं एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,

16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्री राहुल मिश्रा, आत्मज श्री राम मनोहर मिश्रा, म. नं. 1430, लालमाटी चांदमारी तलैया, जबलपुर (म.प्र.)–482001
18. श्री जगदीश कलावत, आत्मज श्री रोड़ीलाल कलावत, 44, अभिनंदन नगर, विस्तार क्रं.–1, मन्दसौर (म.प्र.)–458001
19. श्री संतोष यादव, आत्मज श्री जगदीश यादव, टी—22/14 नार्थ टी.टी. नगर, दशहरा मैदान, भोपाल, (म.प्र.)–462003,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

28.06.16

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)